न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मी नारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 31/2012/नागौर (2012/00078)

रामेश्वरलाल पुत्र भगवानाराम माली निवासी रोल, जिला नागौर।

अपीलान्ट

बनाम

जिलाकलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत नियम 18 शस्त्र अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
आदेश कमांक न्याय/आर्म्स/2012/4286 दिंनाक 07.09.2012

उपस्थितः 1— श्री लेखू मंघानी अभिभाषक अपीलान्ट
2— श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

निर्णय

दिनांक : 16-3-2020

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने अपीलार्थी के नाम शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 46/2000 पुलिस थाना रोल द्वारा जारी किया गया। उक्त अनुज्ञा पत्र दिनांक 31–12–2010 तक नवीनीकृत था। अपीलार्थी ने आगामी तीन वर्ष के लिए हथियार के लाईसेन्स का नवीनीकरण करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के समक्ष निर्धारित अवधि में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र पर जिला पुलिस अधीक्षक नागौर से रिपोर्ट ली गई जिन्होंने रिपोर्ट में अंकित किया कि अपीलार्थी के विरूद्व मुकदमा संख्या 30/11 धारा 120 बी, 420, 466, 468, 467, 471, 472, 474 आईपीसी दर्ज होकर जैर अनुसंधान पुलिस होने से लाईसेन्स का नवीनीकरण नहीं किया जाना उचित रहेगा। उक्त रिपोर्ट के आधार पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with CamScanner

नागौर ने अपने आदेश दिनांक 6/7–9–2012 से अपीलार्थी के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 46/2000 निरस्त कर दिया। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, नागौर का आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है। उक्त आदेश में लाईसेंस रिन्यु नहीं करने का कोई कारण अंकित नहीं किया केवल जिला पुलिस अधीक्षक नागौर की रिपोर्ट को आधार बनाकर आदेश पारित कर दिया। जिला मजिस्ट्रेट नागौर ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (3)(बी) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि पूर्व में जारी आर्म्स लाईसेन्स उन्हीं परिस्थितियों में निलंबित/रिवोक किया जा सकता है जहां जन सुरक्षा तथा पब्लिक पीस के लिये आवश्यक हो। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी ने कभी भी लाईसेन्सशुदा हथियार का कभी दुरूपयोग नहीं किया है तथा ना ही जन सुरक्षा तथा ना ही पब्लिक पीस का हनन हुआ है। जिला पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में जिन मुकदमों का उल्लेख किया है उसमें हथियार के दुरूपयोग का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। अपीलार्थी का लाईसेन्स दिनांक 31–12–2010 तक नवीनीकृत था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की खण्डपीठ ने 2005(2) Cr.L.R (Raj) पृष्ठ 907 में प्रकाशित निर्णय डीबी स्पेशल अपी (रिट) संख्या 576/2003 निर्णय दिनांक 18–1–2005 में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि जिला मजिस्ट्रेट ने यह इंगित नहीं किया है कि लोक शांति की सुरक्षा बनाये रखने के लिए किस प्रकार अपीलार्थी आयुद्ध लाईसेंस को रद्ध करना जरूरी था। माननीय खण्डपीठ ने यह भी मत व्यक्त किया है कि केवल कुछ फौजदारी मुकदमें लम्बित होने के आधार पर आयुद्ध लाईसेंस निरस्त करना न्यायोचित नहीं है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–9) विभाग जयपुर के परिपत्र प–1(13) गृह–9/2006 दिनांक 16–2–2006 के बिन्दु संख्या 5 में शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण करने से पहले बिन्दु संख्या 5.2(1) ससे 5. 2(12) में वर्णित बिन्दुओं की पालना करने पर ही लाईसेन्स नवीनीकरण करने की व्यवस्था की है जिसमें आर्म्स रूल्स के नियम 3 व 4 का भी उल्लेख है तथा परिशिष्ठ 10 में वर्णित शपथ पत्र भी दिये जाने की व्यवस्था है। बिन्दु संख्या 5 में वर्णित शर्तो की अवहेलना का अपीलार्थी दोषी नहीं है। पुलिस अधीक्षक नागौर ने अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा संख्या 30/11 विचाराधीन होने के कारण लाईसेंस

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with CamScanner

का नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की थी। जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट एकतरफा थी। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 16–12–2006 के बिन्दु संख्या 8–1 में परिपत्र दिनांक 16/02/2010 से संशोधन कर अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण व निरस्तीकरण के प्रकरणों में आयुद्ध अधिनियम के आधार पर कार्यवाही के निर्देश दिये है। उक्त परिपत्र दिनांक 16–12–2006 के इस प्रावधान को हटा दिया गया है कि यदि किसी के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज है तो ऐसे अनुज्ञाधारी का लाईसेंस तुरन्त निरस्त किया जावे। इस प्रकार परिपत्र दिनांक 16–2–2010 के प्रावधान प्रभाव में आने के बाद पुलिस अधीक्षक नागौर की रिपोर्ट निष्प्रभावी हो गई है। अपीलार्थी के विरूद्ध दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 107, 110, 115 (3) या 151 के तहत शांति भंग का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तथा किसी भी न्यायालय ने आज तक शांति बनाए रखने के लिए अपीलार्थी को पाबन्द नहीं किया गया है फिर भी लोक शांति भंग करने की आशंका बताकर हथियार का लाईसेंस निरस्त करना विधिविरूद्ध है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि श्री गणेश प्रसाद बनाम राजस्व मण्डल तिरूअनतपुरम (2005 Cr LJ 3178 केरल) में माननीय उच्च न्यायालय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जब जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किये गये आदेश का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन की अस्वीकृति के लिए एक मात्र कारण यह है कि पुलिस अधीक्षक ने अनुज्ञप्ति जारी करने की अनुशंषा नहीं की। अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक आवेदन पर आवश्यक रूप से स्वयं उसकी मैरिट पर विचरित किया जाना होता है। इससे संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए और असंबंधित तथ्यों द्वारा मार्गदर्शन से बचना चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने केवल पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–9–2012 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। जिला पुलिस अधीक्षक नागौर की रिपोर्ट दिनांक 4–7–2011 अनुसार में अंकित किया है कि अनुज्ञाधारी के विरूद्ध दर्ज अभियोग संख्या 515/99 पुलिस थाना नागौर में उसे संदेह का लाभ देकर दिनांक 2–12–2003 को बरी किया गया है तथा आवेदक के विरूद्ध दूसरा मुकदमा संख्या 39/2011 अन्तर्गत धारा 120 बी, 420, 466, 467, 471, व 474 आईपीसी में दर्ज होकर जैर तफतीश होने पर जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर ने अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की है। अपीलार्थी को मुकदमा संख्या 515/99 में संदेह का लाभ देकर बरी किया गया था किन्तु

न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with CamScanner

मुकदमा नम्बर 39/11 में पुलिस तफतीश में अनुज्ञाधारी का अपराध साबित पाये जाने पर न्यायालय में चालान भी प्रस्तुत किया जा चुका है। उक्त आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक नागौर द्वारा अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की है। उक्त कारणो से जिला मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 23–1–2012 में उल्लेख किया है कि अपीलार्थी को मुकदमा संख्या 515/99 धारा 3535, 332 में संदेह का लाभ देकर बरी किया गया था किन्तु मुकदमा नम्बर 39/11 अन्तर्गत धारा 120 बी, 420, 466, 467, 471, व 474 आईपीसी में पेश किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है। थानाधिकारी व वृताधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की थी।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी को मुकदमा संख्या 515/99 में संदेह का लाभ देकर बरी किया जा चुका है किन्तु एक अन्य मुकदमा नम्बर 39/11 में अन्य धाराओं में आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस तफतीश में अनुज्ञाधारी का अपराध साबित पाये जाने पर न्यायालय में चालान भी प्रस्तुत किया जा चुका है। यद्यपि जिला पुलिस अधीक्षक नागौर ने आयुद्ध अधिनियम के तहत अनुज्ञाधारी के विरूद्ध कोई प्रकरण लम्बित नहीं होना तथा अनुज्ञाधारी का अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किया जाता है तो लोकशांति की सुरक्षा के लिए या अन्य लोकक्षेम के विरूद्ध कोई प्रभाव नही पड़ने का उल्लेख भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 4–7–2011 मे अंकित किया है। जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 23–1–2012 में अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज मुकदमा नम्बर 39/11 धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भादस थाना रोल में दर्ज होकर चालान न्यायालय में धारा 193, 465, 471 भादस में पेश किया जाकर न्यायालय में विचाराधीन होना अवगत कराया है। उक्त प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग जायल जिला नागौर द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या 172/11 रामेश्वरलाल को धारा 193, 465, 471 भादस के आरोपित अपराध से अपने निर्णय दिनांक 10–5–2013 द्वारा दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है। किन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 39/11 में अन्य धाराओं में आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांकित 7–9–2012 स्पीकिंग आदेश है। जहां तक अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने का प्रश्न है, रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांकित 26–7–2011 का अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया जिसका जवाब 19–2–2011 को प्राप्त हुआ

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with CamScanner

है तदुपरान्त पुनः अपीलार्थी को दिनांकित 10–2–2012 का नोटिस जारी किया गया जिसमें अपीलार्थी का जवाब दिनांक 21–2–2012 को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर का आदेश दिनांक 7–9–2012 यथावत रखे जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर) का आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/2012/4286 दिनांक 7–09–2012 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(लक्ष्मी नारायण मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Scanned with CamScanner